न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, कोटा, जिला कोटा
पीठासीन अधिकारीः श्री वीरेन्द्र सिंह यादव आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 50 / 2023 (निगरानी)

जी.सी.एम.एस. नं. – 2023 / 128

उनवान

नेमीचन्द आत्मज बाबूलाल जाति मीणा निवासी लुहावद तहसील पीपल्दा,

(अपीलान्ट)

बनाम

1. जगन्नाथ आत्मज धन्ना जाति मीणा
2. सुरजमल आत्मज धन्ना जाति मीणा निवासीगण लुहावद तहसील पीपल्दा
3. ग्राम पंचायत लुहावद जर्ये सचिव तहसील पीपल,जिला कोटा
4. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार पीपल्दा

(रेस्पोडेन्टस्)

उपस्थित :– 1. श्री उत्तमचन्द खण्डेलवाल (अपीलान्ट)

तहसीलदार पीपल्दा के आदेश दिनांक 17.05.2018 भू0राजस्व अधिनियम की धारा 75 के तहत अपील

निर्णय दिनांकः– 8/01/26

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि,न्याय एवं संचिका में सिद्वि प्राप्त तथ्यो के विपरीत है। तहसीलदार पीपल्दा का आदेश पूर्ण रूप से तथा कानून के विपरीत है तथा क्षैत्राधिकार से बाहर जाकर समस्त कानूनी प्रावधानो को नजर अन्दाज करते हुए आदेश पारित किया गया है जो सर्वथा अवैध तथा निरस्तनीय है।

रेस्पोडेन्ट कम 1 व 2 द्वारा राजस्व लोक अदालत में दिनांक 17.5.2018 को ग्राम लुहावद स्थित खसरा नम्बर 1821 की 0.28 है तथा खसरा नं. 822 की 0.67 है0 कुल किता 2 की 0.95 है0 भूमि को समर्पित करने का समर्पण पत्र आलेखित कर प्रस्तुत किया,जिसे तहसीलदार द्वारा स्वीकार कर रेस्पोडेन्ट कम 1 व 2 के हिस्से पर रेस्पोडेन्ट

अति. जिला कलक्टर
कोटा

क्र. 3 ग्राम पंचायत के नाम रास्ते हेतु दर्ज करके नामान्तकरण खोलने का पटवारी हल्का को आदेश दिया जो र्स्वथा त्रुटिपूर्ण व अवैधानिक है। तथा उक्त आदेश की पालना में पटवारी हल्का द्वारा नामान्तकरण संख्या 1760 खोलकर रेस्पोडेन्ट क्04 के समंक्ष प्रस्तुत किया जिसे रेस्पोडेन्ट क्रम 4 ने स्वीकृत कर दिया जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण व अवैधानिक है।

अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की और ध्यान नही दिया कि खसरा नम्बर 801 की 0.06 है0खसरा नं. 821 की 0.28 है0 ख.न. 822 की 0.67 है0 संयुक्त खाते की भूमि है जिसके संयुक्त खातेदार छगनलाल,रामचरण,अनोखबाई हिस्सा 1/2,गुलाब,नट्टी पुत्रिया लाला हिस्सा 2/6 जगन्नाथ बैजनाथ,सुरजमल पुत्रान धन्ना,छीता,गीता,जनक,भूलां पुत्रिया हिस्सा 1/6 दर्ज था जिसमें से नट्टी बाई पुत्री लाला ने उपरोक्त वर्णित आराजी खसरा नम्बर 801,821 तथा 822 की 1.01 है0 मे से 1/6 हिस्सा भूमि जर्ये पंजीकृत विकृय पत्र दिनांक 4.06.2015 को अपीलान्ट को विकय कर कब्जा दे दिया तथा उक्त विकय पत्र के आधार पर तहसीलदार पीपल्दा ने दिनांक 26.6.2015 को नामान्तकरण संख्या 1571 तस्दीक कर दिया और इस प्रार अपीलान्ट का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज कर दिया गया। ऐसी अवस्था मे अपीलान्ट वादग्रस्त आराजी में 1/6 हिस्सा भूमि का खातेदार टीनेन्ट है तथा काबिज है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय को उक्त आदेश पारित करते हमे सुनवाई का अवसर दिया जाना चाहिए था।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य की ओर भी ध्यान नही दिया कि संयुक्त खाते की भूमि कभी सहखातेदार की सहमति के बिना समर्पण नही किया जा सकता है किसी भी सहखातेदार को अपने हिस्से की भूमि का समर्पण करने का अधिकार प्राप्त नही है,क्योकी कोई खातेदार टिनेन्ट अपने टिनेन्सी अधिकारो को समर्पित करता है तो भूमि सिवायचक खाता सरकार दर्ज हो सकती है न कि किसी अन्य की खातेदारी में दर्ज की जा सकती है किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने ग्राम पंचायत के नाम दर्ज करने का आदेश प्रदान कर दिया जो सर्वथा त्रुटि पूर्ण एवम् अवैधानिक है।

अधीनस्थ न्यायालय ने कानून के इस सर्वमान्य सिद्वान्त कि भी अवहेलना कि है जिसके अनुसार पत्येक सहखातेदार प्रत्येक इंच भूमि का स्वामी होता है तथा उस पर काबिज होता है फिर कैसे उक्त भूमि का कोई भी हिस्सा अन्य को दिया जा सकता है फिर तहसीलदार को भूमि आंवटन का भी अधिकार प्राप्त नही है ऐसी अवस्था में तहसीलदार पीपल्दा का आदेश पूर्ण रूप से अवैध तथा निरस्तनीय हैं।

अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की जानकारी नही हो सकी इसलिए उक्त कार्यवाही करने से पूर्व कोई नोटिस दिया और न सुनवाई का अवसर प्रदान किया। अपीलान्ट को सर्वप्रथम दिनांक 30.11.2023 को पटवारी हल्का द्वारा यह बताने पर जानकारी हुई। अपीलान्ट द्वारा नकल प्राप्त होने पर दिनांक 17.5.2018 से अपील प्रस्तुत करने तक की अवधि कन्डोन की जाने योग्य है तथा उक्त अवधि कन्डोन की जाकर अपील को मेरिट पर सुना जाना आवश्यक् है।

अति. जिला कलक्टर
कोटा

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 17.05.2018 तथा उसकी पालना में तस्दीक किया गया नामान्तकरण संख्या 1760 दिनांक 18.5.2018 को निरस्त फरमाया जावे।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट की तलबी की गई। रेस्पोडेन्ट कम 1 व 2 को जारी रजिस्टर्ड समन्न बाद तामिल प्राप्त हुए। रेस्पोडेन्ट कम 1 व 2 बावजूद सुचना अनुपस्थित रहे। रेस्पाडेन्ट कम 3 की ओर से अभिभाषक श्री नईमुद्दीन का वकालतनामा पेश हुआ।

पत्रावली में बहस सुनी गई। वकील अपीलान्ट द्वारा अपील मेमो के अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय 17.05.2018 में अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये बगेर नियमो की अनदेखी कर पारित किया गया है जो पूर्ण रूप से अवैध तथा निरस्तनीय हैं।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 17.05.2018 तथा उसकी पालना में तस्दीक किया गया नामान्तकरण संख्या 1760 दिनांक 18.5.2018 को निरस्त फरमाया जावे। वकील रेस्पोडेन्ट कम 3 बहस के समय अनुपस्थित रहे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। यह अपील आदेश दिनांक 17.05.2018 के विरूद्ध अपीलाण्ट द्वारा लिमिटेशन के प्रार्थना पत्र धारा 5 के साथ दिनांक 20.12.2023 को पेश की गई है, जो विलम्ब से पेश हुए है। विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने का मुख्य कारण अपीलाधीन आदेश की प्रथम जानकारी नामान्तकरण की नकल प्राप्त करने पर होने के कारण विलम्ब से प्रस्तुत किया जाना अवगत करवाया है। अतः न्यायहित को ध्यान में रखते हुए लिमिटेशन का प्रार्थना स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को माफ किया जाकर अपील अन्दर मियाद मानी जाती है।

पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अध्ययन् व अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध जमाबंदी सम्वत् 2074–77 ग्राम लुहावद भू0अ0निरी0 लुहावद तहसील पीपल्दा,जिला कोटा के खाता संख्या नया 113 पुराना 112 के ख.न. 821 रकबा 0.28 है0 ख.न. 822 की 0.67 है0 कुल 0.95 है0 आराजी में न्यायालय सहायक कलेक्टर इटावा के आदेश दिनांक 20.6.2022 से सभी खसरा नम्बर पर रेकार्ड एवं मौका की यथास्थित बनाये रखने का नोट अंकित है। अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील तहसीलदार पीपल्दा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 17.5.2018 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण में तहसीलदार पीपल्दा द्वारा निर्णय दिनांक 17.5.2018 से ग्राम पंचायत को किया गया

अति. जिला कलक्टर
कोटा

समर्पण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में निहित प्रावधानो अनुसार सरकार के पक्ष में होना चाहिए । प्रस्तुत अपील में उक्त समर्पण ग्राम पंचायत के पक्ष में किया गया है जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में निहित प्रावधानो के अनुसार नही होने से अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होती है।

अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 17.05.2018 तथा उसकी पालना में तस्दीक किया गया नामान्तकरण संख्या 1760 दिनांक 18.5.2018 को निरस्त किया जाता है। तहसीलदार पीपल्दा निर्देश दिये जाते है कि विवादित आराजीयात् के संबध में न्यायालय सहायक कलक्टर इटावा के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावे।

निर्णय आज दिनांक 8/01/26 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

(वीरेन्द्र सिंह यादव)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
कोटा

अति. जिला कलक्टर
कोटा